हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06/09/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया व विपक्षी नं. 4 के वकील उप०। विपक्षी नं. 3 की ओर से Adv. पवन धारीवाल उप०। विपक्षी सं. 4 के वकील ने आवेदन का जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया। वकील विपक्षी नं. 4 द्वारा बहस सुनने का निवेदन किया, जिस पर प्रार्थिया वकील ने बहस हेतु समय चाहा, इस पर विपक्षी नं. 4 के वकील ने आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया वकील अवसर की आड़ में आवेदन लम्बित करना चाहते है। अतः बहस सुनी जावे।

विपक्षी नं. 4 के वकील की बहस सुनी गई। विपक्षी नं. 4 के वकील ने बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थिया द्वारा वाद 88 Rt Act का पेश किया है। 88 Rt Act के ग्राउन्ड के आधार पर न्यायालय से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है। प्रार्थिया मुस्लिम विधि से शासित है और दावा हिन्दू रीति से पेश किया है जो गलत है, मुस्लिम कानून में हर प्रकार का अपना हिस्सा तय होता है। प्रार्थिया द्वारा [illegible] की पौतजी का कोई हवाला नहीं किया गया [illegible] का मतलब प्रार्थिया के पिता [illegible] है। मुस्लिम पर्स अनुसार पिता [illegible] के पुत्र-पुत्रियों का कोई अधिकार [illegible] हिस्सा नहीं

लगातार---

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं बनता है। प्रार्थिया वकील ने न्यायालय से एकतरफा स्थगन प्राप्त करने के बावजूद पक्षकारो के Reg AD नोटिस पेश नहीं किये हैं जिससे प्रार्थिया का आवेदन Non-Compliance में खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया की पैतृक सम्पत्ति नहीं होने से एवं पक्षकार पुलिस विभाग से शामिल होने के कारण प्रार्थिया किसी प्रकार का हक हकूक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, अतः प्रार्थिनी का आवेदन खारिज किया जावे। वकील प्रार्थिनी को बहस में कथन करने हेतु कहा गया, वकील प्रार्थिनी ने निवेदन किया कि उन्हे अभी जवाब की प्रति प्राप्त हुई है, अतः बहस हेतु समय दिया जावे। वकील प्रार्थिनी ने बहस नहीं की। अतः न्यायहित में विपक्षी सं. 4 की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया। प्रार्थिनी वकील को बहस हेतु कथन करने के लिए कहा गया बावजूद प्रार्थिनी वकील ने बहस नहीं की और न ही विपक्षीगण के नोटिस AD सहित पेश किये। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया का आवेदन Clean Hand के नहीं पेश किया गया है, विपक्षी सं. 4 के कथन उचित प्रतीत होते हैं। जिसके आधार पर प्रार्थि[illegible] [illegible] किये व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित [illegible] प्रतीत होता है, अतः प्रार्थिनी का आवेदन [illegible] किया जाता है। पत्रावली पैरवी [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सुनाया [illegible] कर दिया। सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested